न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्रामपंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अपील नामान्तरण प्रक.न. - 2/2024	

13-2-25 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-2-25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

20-2-25 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-2-25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

27.02.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थीया उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 12.03.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12.03.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थीया उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 27.03.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

27.03.2025 पत्रावली [illegible] हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थीया उपस्थित। वकील अपीलार्थीया द्वारा प्र[illegible] नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड की जाती है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुशीला देवी बनाम अध्यक्ष ग्राम पंचायत

...तिब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर... अहल... हुक्म... पं...
	अपील नामान्तरण मु.नं. - 2/2024	
	गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2024	2024 / 86	14.03.2024	27.03.2025

उनवान प्रकरण

सुशीला देवी पुत्री बुधराम आयु ....साल, जाति अहीर (यादव) निवासी ढ़ाणी दरोकड़ा तन् ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––अपीलार्थीया

बनाम्

1–सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी, पं. सं. अजीतगढ़ जिला सीकर (राज0)

2–भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 प्रार्थी / अपीलार्थीया अभिभाषक।

नामान्तकरण अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तकरण, ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.07.2023 प्रस्ताव संख्या 02, सरंपच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी पंचायत समिति अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीया ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत की है कि तन् ग्राम खिरोटी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1989, 1998, 2000 कुल किता 3 कुल रखबा 1.3700 हैक्टर सम्पूर्ण एव खसरा नम्बर 303 से 306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6700 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एव खसरा नम्बर 351 से 359 कुल किता 9 कुल रकबा 8.8500 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 259, 266, 297, 319, 321 से 326, 328 से 330, 333, 335, 347 से 350, 360 से 364, 366, 372, 373 कुल किता 27 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 320, 327, 331, 332, 334, 336 से 339, 341 से 343, 345, 346 कुल किता 14 कुल रकबा 6.95 हैक्टर में हिस्सा 1/28 की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में अपीलार्थीया पिता स्व0 बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीया सुशीला देवी व उसकी सगी बहिनें सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त भूमियों में विरासत का नामान्तकरण संख्या 1203 दिनांक 14.06.2023 बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय के स्थान पर अपीलार्थीया सुशीला देवी व उसकी सगी बहिनों कमशः सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी पुत्रीयॉं बुधराम के नाम भरकर तस्दीक हेतु रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के समक्ष पेश किये जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय **''ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.07.2023 प्रस्ताव संख्या 02 कोरम द्वारा अस्वीकार किया जाता है''** पारित फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है:–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का निर्णय दिनांक 20–07–2023 बाबत नामान्तकरण संख्या–1203 विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीया ने कृषि भूमियॉं तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1989, 1998, 2000 कुल किता 3 कुल रक्बा 1.3700 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 303 से 306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6700 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एंव खसरा नम्बर 351 से 359 कुल किता 9 कुल रकबा 8.8500 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 259, 266, 297, 319, 321

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से 326, 328 से 330, 333, 335, 347 से 350, 360 से 364, 366, 372, 373 कुल किता 27 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर एव खसरा नम्बर 320, 327, 331, 332, 334, 336 से 339, 341 से 343, 345, 346 कुल किता 14 कुल रकबा 6.95 हैक्टर मे हिस्सा 1/28 की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में अपीलार्थीया पिता स्व0 बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीया सुशीला देवी व उसकी सगी बहिने सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त भूमियों मे विरासत का नामान्तकरण संख्या 1203 दिनांक 14.06.2023 बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय के स्थान पर अपीलार्थीया सुशीला देवी व उसकी सगी बहिनों क्रमशः सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी पुत्रीयॉ बुधराम के नाम भरकर तस्दीक हेतु रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी के समक्ष पेश किये जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय **"ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.07.2023 प्रस्ताव संख्या 02 कोरम द्वारा अस्वीकार किया जाता है"** पारित फरमा दिया गया। चुनौतिग्रस्त निर्णय में यह तथ्य अंकित किया कि खातेदार बुधराम पुत्र गंगासहाय के विवादित फौत पुत्र पाया गया अतः नामान्तकरण खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपने चुनौतीग्रस्त निर्णय में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया कि खातेदार बुधराम पुत्र गंगासहाय के विवादित फौत पुत्र है तो उसके आधार पर नामान्तकरण खारिज किये जाने का निर्णय पारित किये जाने का क्या औचित्य है जबकि मृत्तक खातेदार बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय की वर्तमान में मौजूदा वारिसान् अपीलार्थीया सुशीला देवी एंव इसकी बहिने क्रमशः सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी पुत्रीयॉ बुधराम ही है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीया सुशीला देवी ने दस्तावेज वारिस शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एंव अन्य दस्तावेजात जो चाहे गये वो पेश किये गये है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या–1203 बाबत चुनौतीग्रस्त निर्णय बिना मजमें आम पारित किया गया है जो बिना कोई सूचना व बिना कोई नोटिस जारी किये बाला–बाला पारित कि[illegible]। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 1203 बाबत चु[illegible]कारी नहीं हो सकी परन्तु अपीलार्थीया ने पटवारी हल्का से जमाबन्दी क[illegible]कल लेने हेतु सम्पर्क करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.01.2024 मिलने पर अपील अन्दर मियाद मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 का चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 20.07.2023 अपास्त होने योग्य है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी प. स. अजीतगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या–1203 ग्राम खिरोटी की बाबत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 20–07–2023 को अपास्त फरमाया जाकर तन् ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1989, 1998, 2000 कुल किता 3 कुल रक्बा 1.3700 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 303 से 306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6700 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एंव खसरा नम्बर 351 से 359 कुल किता 9 कुल रकबा 8.8500 हैक्टर एव खसरा नम्बर 259, 266, 297, 319, 321 से 326, 328 से 330, 333, 335, 347 से 350, 360 से 364, 366, 372, 373 कुल किता 27 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर एव खसरा नम्बर 320, 327, 331, 332, 334, 336 से 339, 341 से 343, 345, 346 कुल किता 14 कुल रकबा 6.95 हैक्टर में हिस्सा 1/28 की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में अपीलार्थीया पिता स्व0 बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीया सुशीला देवी व उसकी सगी बहिनें सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी पुत्रीयॉ बुधराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार को प्रदान किये जाने का निवेदन अपील नामान्तकरण में किया है।

इस पर अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्टस संख्या– 1 व 2 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से [illegible] अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 के विरूद्ध [illegible] लाई गई। वकील अपीलार्थीया साक्ष्य पेश नहीं करना [illegible] अपीलार्थीया बन्द की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

जिस पर हमनें वकील अपीलार्थीया की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलार्थीया द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड नामान्तकरण संख्या 1203, सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी की बैठक दिनांक 20.07.2023 के प्रस्ताव संख्या 02 की नकल इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी खातेदार बुधराम पुत्र गंगासहाय कौम अहीर सा. ढाणी दरीकड़ा तन् देह खातेदार के नाम से खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार बुधराम पुत्र गंगासहाय कौम अहीर की मृत्यु होने पर उसके वारिसान् के नाम से नामान्तकरण भरा जाना प्रकट होता है। जिसका नामान्तकरण संख्या 1203 दिनांक 20.07.2023 दर्ज होकर ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी के द्वारा खातेदार के विवाहित फौत पुत्र पाये जाने पर अस्वीकार कर उक्त नामान्तकरण सं. 1203 को खारिज किया जाना प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी की बैठक दिनांक 20.07.2023 के प्रस्ताव संख्या 2 में अंकित किया है कि सुशीला देवी, सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी पुत्रीयॉन बुधराम के नाम नामा0 भरकर पेश हुआ। कोरम द्वारा विवाहित पुत्र जो मृत्तक है के वारिसान् के नाम दर्ज नहीं होने से कोरम द्वारा नामा0 सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा अपने प्रस्ताव में मृत्तक विवाहित वारिस का नाम अंकित नहीं किया जाना प्रकट होता है। जबकि ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी द्वारा पंचायत बैठक में मृत्तक वारिस का नाम व उसके वारिसान् की जॉच करवाई जाकर [illegible] की कार्यवाही की जा सकती थी। जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने सीधे ही निर्णय दिनांक [illegible] के द्वारा नामान्तकरण खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी द्वारा नामान्तकरण संख्या–1203 बाबत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 20–07–2023 को अपास्त फरमाया जाकर तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1989, 1998, 2000 कुल किता 3 कुल रक्बा 1.3700 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 303 से 306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6700 हैक्टर में हिस्सा 1/4 एंव खसरा नम्बर 351 से 359 कुल किता 9 कुल रकबा 8.8500 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 259, 266, 297, 319, 321 से 326, 328 से 330, 333, 335, 347 से 350, 360 से 364, 366, 372, 373 कुल किता 27 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 320, 327, 331, 332, 334, 336 से 339, 341 से 343, 345, 346 कुल किता 14 कुल रकबा 6.95 हैक्टर में हिस्सा 1/28 की खातेदारी जमाबन्दी में अपीलार्थीया के पिता मृत्तक स्व0 श्री [illegible] गासहाय के नाम दर्ज भूमियां बाबत भरे गये नामान्तकरण संख्या–1203 को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मृत्तक स्व0 श्री बुधराम पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय के वारिसान् की जॉच करते हुए बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)